

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 3002/तक/म0प्र0ग्रासप्रा/2022
प्रति,

बालाघाट दिनांक 2/12/2022

वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में लांजी तहसील अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रभावित वनभूमि रकबा 7.47 हेक्टेयर की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की शासन स्वीकृति प्रदान करने बाबद्।

ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/155493/2022

संदर्भ :- परिवेश पोर्टल पर प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 30.11.2022

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है, कि आवेदक विभाग— महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट द्वारा बालाघाट जिले में लांजी तहसील अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के तहत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य के वनक्षेत्र में प्रस्तावित प्रभावित वनभूमि में लम्बाई 8.30 किलोमीटर एवं चौड़ाई 9 मीटर = कुल रकबा 7.47 हेक्टेयर की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की शासन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेब पोर्टल www.forestsclearance.nic.in पर ऑन लाईन आवेदन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/155493/2022, FORM-A, PART-I भरा जाकर प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र. 3030/तक दिनांक 29.11.2022 द्वारा समतुल्य राजस्व भूमि उपलब्ध कराई गई। (संलग्न)

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देश अनुसार प्रस्तुत किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव FORM-A, PART-I की हार्ड कापी मय उल्लेखित सहपत्र अभिलेखों सहित 01 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(प्रस्ताव की हार्ड कापी 05 प्रतियों में)



महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 2/12/2022

पृष्ठां. क्र. 3003/तक/मप्रग्रासविप्रा/2022

प्रतिलिपि :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ग्र-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) बालाघाट वृत्त बालाघाट मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) कलेक्टर जिला बालाघाट की ओर FORM-A, PART-I की हार्ड कापी मय उल्लेखित सहपत्र अभिलेखों सहित 01 प्रति में प्रेषित कर, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अनुरोध है।
- (4) प्रमुख अभियंता म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।


08/12/22


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट